(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3088–एक/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 10–09–2014 – पारित व्दारा तहसीलदार, नीमच जिला नीमच – प्रकरण कमांक 15 अ–13/2013–14

1– जगदीश पुत्र नानुरामजी पाटीदार
2– सालिगराम पुत्र नानुरामजी पाटीदार
दोनों निवासी ग्राम कनावटी तहसील एंव
जिला नीमच मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

राधेश्याम पुत्र नन्दलाल गायरी
ग्राम कनावटी तहसील व जिला नीमच ----अनावेदक

(श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक – आवेदकगण)
(श्री आर0डी0शर्मा अभिभाषक – अनावेदक)

आ दे श
(दिनांक 4 – 01 – 2016)

यह निगरानी तहसीलदार नीमच द्वारा प्रकरण कमांक 15 अ–13/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10–9–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने तहसीलदार नीमच के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि उसके स्वामित्व

की भूमि सर्वे कमांक 343 ग्राम कनावटी से डुंगलावढ़ा जाने वाले आम रोड से शमशान भूमि में होकर भण्डारीया मार्ग पर स्थित है और इसी मार्ग पर सर्वे नंबर 346 मांगुदास पुत्र लालदास की भूमि एंव सर्वे नंबर 348, 349, 350 आवेदक क-1 की तथा सर्वे कमांक 344,345,347 आवेदक क-2 की भूमि है। सर्वे नंबर 343 की भूमि पर पहुंचने के लिये भण्डारीया के रास्ते से पश्चिम की ओर सर्वे नंबर 346 स्थित पड़त भूमि से होकर आगे सर्वे नंबर 348,349,350 आवेदक क-1 की भूमि के दक्षिण पश्चिम के कौने पर आगे सर्वे नंबर 344, 345,347 आवेदक क-2 की भूमि की पूर्वी मेढ़ पर होकर जाने का रूढ़िगत रास्ता है जिस पर वह बैलगाड़ी , ट्रेक्टर एंव अन्य आवागमन के साधन सदैव से लेकर आता जाता है और यही एकमात्र मार्ग मौके पर स्थित होकर चालू था जिसके निशानात कायम हैं। परन्तु आवेदकगण ने जे0सी0बी0 मशीन लगाकर ट्रेक्टर से उक्त रास्ते को फाड़कर एंव ट्रेक्टर से पत्थर डालकर मार्ग अवरूद्ध कर रास्ता रोक दिया है इसलिये पत्थर हटवाये जाकर रास्ता दिलाया जावे। इसके अतिरिक्त अनावेदक ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन देकर स्थल निरीक्षण कर प्रकरण के अंतिम निराकरण तक रास्ता खुलवाने की प्रार्थना की। तहसीलदार नीमच ने प्रकरण कमांक15 अ-13/13-14 पंजीबद्ध किया तथा पटवारी से स्थल निरीक्षण कराया एंव स्वयं् व्दारा स्थल निरीक्षण किया। पक्षकारों की प्रारंभिक सुनवाई उपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 10-9-2014 पारित कर अनावेदक व्दारा प्रस्तुत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन स्वीकार किया एंव प्रकरण के अंतिम निराकरण तक आवेदकगण व्दारा उक्त रास्ते पर डाले गये पत्थर हटाने एंव अनावेदक के उपयोग हेतु रास्ता खोलने के निर्देश दिये। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस सुनी। अनावेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि अनावेदक ने कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिये जिस रूढ़िगत रास्ते को बताया है एंव आवेदकगण व्दारा पत्थर डालकर रोकना बताया है अनावेदक का आवेदन असत्य एंव बनावटी आधारों पर आधारित है जिसके कारण तहसीलदार नीमच ने आवेदकगण के विरूद्ध आदेश पारित करने में भूल की है। दिनांक 5-7-14 को राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी ने मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण किया है पंचनामा बनाया है उसमें अनावेदक के आने जाने के दो रास्ते होने का उल्लेख है एंव इस पंचनामे पर तहसीलदार ने विश्वास न करने में भूल की है। एक वार पटवारी और राजस्व निरीक्षक स्थल निरीक्षण कर चुके थे तहसीलदार ने स्वयं् दिनांक 19-7-14 को स्थल निरीक्षण किन परिस्थितियों में किया है व क्या कारण रहे हैं इसका स्पष्टीकरण अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक को लाभ देने के लिये दुवारा स्थल निरीक्षण किया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक हो जाता है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की। अनावेदक के अभिभाषक ने मौके की स्थिति अनुसार आदेश होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने तहसीलदार नीमच के समक्ष संहिता, 1959 की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया है कि उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 343 पर जाने वाले एकमात्र रूढ़िगत रास्ते का उपयोग कर

बैलगाड़ी , ट्रेक्टर एंव अन्य आवागमन के साधन सदैव से लेकर आता जाता रहा है और यही एकमात्र मार्ग मौके पर स्थित होकर चालू था, परन्तु आवेदकगण ने जे0सी0बी0 मशीन लगाकर ट्रेक्टर से उक्त रास्ते पर पत्थर डालकर मार्ग अवरूद्ध कर दिया है एंव रास्ता रोक दिया है इसलिये पत्थर हटवाये जाकर रास्ता दिलाया जावे। तहसीलदार ने विवाद पर दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देने हेतु आवेदकगण को भी आहुत कर उत्तर प्राप्त किया है। विचाराधीन विवाद दैनिक आवागमन के रास्ता रोके जाने का होने के कारण हलका पटवारी से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की है। पटवारी ने अनावेदक की अनुपस्थिति बताते हुये तथा आवेदकगण को स्थल निरीक्षण के समय उपस्थित रहना अंकित कर संदेहास्पद निरीक्षण प्रतिवेदन दिया, जिसके कारण तहसीलदार ने वास्तविक स्थिति जानने हेतु स्वयं् दिनांक 19-7-14 को राजस्व निरीक्षक के साथ मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण किया है तथा मौके पर रास्ता अवरोधित कर दिया जाना पाने के कारण अंतरिम आदेश दिनांक 10-9-14 से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अनावेदक को आवागमन के लिये रास्ता खुलवाने के आदेश दिये हैं जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि करना परिलक्षित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नीमच द्वारा प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 15 अ-13/2013-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10-9-2014 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर